F. No. A-12035/3/2023-A(P&T)
Government of India
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
Office of the Development Commissioner
(Micro, Small and Medium Enterprises)
Administration Division
*****

Room No. 705 'A' Wing,
Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 17th April, 2023

Subject: Framing/ Amendment of Recruitment Rules for the post of Lower Division Clerk, Group 'C' post in Office of the Development Commissioner (MSME).

I am directed to invite attention to the DoP&T's OM issued vide F. No. AB-14017/61/2008-Estt. (RR) dated 13.10.2015 to put the proposal for framing/amendment of Recruitment Rules on the website of the respective Ministries/ Department for 30 days for inviting comments of the stake-holders. Therefore, the above-mentioned RRs are uploaded on the website of this department.

2. In view of above, it is requested to all concerned who are working under O/o DC (MSME), Ministry of MSME or any way associated with aforesaid draft Recruitment Rules may kindly furnish their comments/ opinion/ suggestion in the matter within 30 days from the date of issue of the draft notification by e-mail at estt-hqrs@dcmsme.gov.in.

17/04/2023
(Pankaj Kumar Jha)
Dy. Director (Admin)/HOO

To,

All concerned; Field offices (including Hqrs), O/o DC (MSME);

Copy to:-

1. PPS to AS&DC(MSME);
2. PA to ADC(Admin), O/o DC(MSME);
3. Joint Director (SENET), with the request to place the Draft Recruitment Rules on the official website of O/o DC (MSME) to seek comments/ objections/ suggestions of all the stakeholders.

सा.का.नि....... .- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, के अवर श्रेणी लिपिक, साधारण केंद्रीय सेवा समूह, 'ग' पद, भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किये जाने का लोप किया गया है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, अवर श्रेणी लिपिक, साधारण केंद्रीय सेवा समूह, श्रेणी 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद, भर्ती नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि**- इस संबंध में भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में दिए गए निर्देशानुसार होंगे।

4. **निरर्हता** :- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, के साथ विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य नियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक में वेतन-लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तिओं के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
अवर श्रेणी लिपिक	144* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-2 (रुपए 19900-63200/-) वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच। (केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख जैसा कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी (जहाँ भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नहीं है वहाँ आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कक्षा 12 या समतुल्य अर्हता (ii) मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति या (iii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के	हां, स्तंभ ।। में उपदर्शित सीमा तक।	दो वर्ष।	(क) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ख) 10 प्रतिशत विभागीय अर्हक परीक्षा के द्वारा। (ग) 5 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।